

Form No-|||

फर्द अहकाम (निगम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकदमा

रायसिंहनगर

केसर देवी

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल आर एवट

नम्बर 23 सन् 2022

जी.सी.एम.एस. आईडी 2022/ 23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जजे	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
05/01/2022	<p>तहसीलदार भूअ./नायब तहसीलदार मुण्डीवाड़ा रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2022/ 1523 दिनांक 05/01/2022 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुण्डीवाड़ा में प्रार्थी के नाम चक मुण्डीवाड़ा की जमाबंदी सम्बत 2014-2017 के खाता सं. 11</p> <p>केसर देवी पुत्र रामजस</p> <p>के स्थान पर</p> <p>केसर देवी पुत्री रामजस</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार मुण्डीवाड़ा रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक मुण्डीवाड़ा तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत 2014-17 के खाता सं. 11 में</p> <p>केसर देवी पुत्र रामजस</p> <p>के स्थान पर</p> <p>केसर देवी पुत्री रामजस</p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन तहसीलदार के पास। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> <p>(अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p>	

